Sl. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–39/2016

नीलम सिंह – आवेदिका

बनाम

1. श्रीमती कंचन देवी (पत्नी) स्व0 कारू रावत – विपक्षी प्रथम पक्ष
   साकिन–महिसौड़ी, थाना–जमुई, जिला–जमुई,
   हाल–मुकान–चन्द्रशैली, थाना–खैरा।
2. श्रीमती इन्दु देवी, पत्नी अवधेश कुमार सिंह, – विपक्षी द्वितीय पक्ष
   साकिन–रायपुरा, थाना–खैरा, जिला–जमुई।
3. श्रीमती शारदा देवी, पत्नी स्व0 बंगाली रावत, – विपक्षी तृतीय पक्ष
   साकिन–महिसौड़ी, थाना–जमुई, जिला–जमुई,

आदेश

श्रीमती नीलम देवी के द्वारा जमुई अंचल अन्तर्गत मौजा–महिसौड़ी, थाना सं0–29, खाता सं0–112, खेसरा सं0–775, रकवा–$4\frac{3}{4}$ डी0 भूमि से संबंधित विपक्षी प्रथम पक्ष कंचन देवी के नाम कायम जमाबन्दी सं0–2194 तथा उक्त भूमि के कंचन देवी से केवाला से प्राप्त करने वाले इन्दु देवी पत्नी अवधेश कुमार सिंह के नाम कायम जमाबन्दी सं0–3018 को रद्द करने के बावत दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के नियम 9 (1) के तहत यह वाद लाया गया है। विपक्षीगण को सूचना की गई। वाद को अंगीकृत किया गया।

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	ग्राम/थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (डी0 में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
जमुई	महिसौड़ी 29	112	775	$6\frac{1}{4}$ डी0 $5\frac{3}{4}$ डी0	687 688
कुल				12 डी0	

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि वे निबंधित दस्तावेज सं0–5352 दिनांक–02.07.2010 से मूल जमाबन्दी रैयत बंगाली राउत के मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी शारदा देवी से क्रय किये है। क्रय किये गए केवाला के आधार पर चौहद्दी के अनुसार वे चाहरदीवारी धेरवा लिये है तथा उनके शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है।

आवेदक के अनुसार जब वे केवाला तथा दखल कब्जा के आधार पर क्रय की गई भूमि का दाखिल खारिज के लिये आवेदन दाखिल किये तो बताया गया कि बंगाली रावत के जमाबन्दी 688 में कोई रकवा शेष नहीं है तथा जमाबन्दी सं0–687 में मात्र $1\frac{1}{4}$ डी0 भूमि रकवा उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा क्रय किए गए केवाला के आलोक में रकवा खारिज करने के लिए शेष नहीं है। अतएव दाखिल खारिज नहीं हो सकता है।

A Home Jud

आवेदक के अनुसार तत्पश्चात् वे तथ्यों की जॉच तथा पूछ–ताछ की तो पता चला कि कंचन देवी विपक्षी प्रथम ने दाखिल खारिज वाद सं0–5208/07–08 से कपटपूर्वक जमाबन्दी सं0–688 5 $\frac{3}{4}$ डी0 मूल जमाबन्दी रैयत से खारिज कर अपने पक्ष में जमाबन्दी सं0 2194 सृजित करवा ली है। अंचल अधिकारी के द्वारा बिना दस्तावेज के जॉच किये तथा बिना दखल के In-operative एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर विपक्षी प्रथम पक्ष कंचन देवी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी कायम कर दिया, जो नियम विरूद्ध है तथा रद्दीकरण योग्य है।

आवेदक का कहना है कि मूल जमाबन्दी रैयत बंगाली रावत ने दिनांक–18.07.1980 एवं 16.06.1981 को अलग–अलग केवाला से कुल 36$\frac{3}{4}$ डी0 भूमि क्रय किये तद्नुसार 20 डी0 के बावत जमाबन्दी सं0–688 बंगाली राउत के नाम कायम हुई। बंगाली रावत अपने पिछे पत्नी एवं तीन पुत्र वचन, कारू तथा शंकर राउत को छोड़ गए।

वंशावली निम्नवत है
बंगाली रावत
(मु0 शारदा देवी–पत्नी)

वचन | कारू (वर्ष 2002 में निःसंतान–मृत) | शंकर

आवेदक के अनुसार वर्ष 2002 में कारू रावत की मृत्यु हो गई। विधवा कंचन देवी ग्राम–चन्द्रशैली, खैरा चली गई तथा कुछ ही महीने वाद दूसरी शादी कर ली। हिन्दी लॉ के अनुसार दूसरी शादी कर लेने के पश्चात् बंगाली रावत के सम्पत्ति में उसका सारा हक समाप्त हो गया। मगर कंचन देवी ने कपटपूर्वक दाखिल खारिज वाद सं0–5208/07–08 से अपने पक्ष में 12 डी0 भूमि की जमाबन्दी सं0–2194 कायम करवा ली तथा उक्त जमाबन्दी के आधार पर प्रश्नगत भूमि को दिनांक–21.08.2009 को 12 डी0 यानि जमाबन्दी में प्राप्त सम्पूर्ण रकवा को बिना 'स्वत्व' के ही इन्दु देवी पति अवधेश सिंह को बिकी कर दिये। इन्दु देवी को प्राप्त केवाला In-operative रहा। कभी भी इन्दु देवी का क्रय किए गए भूमि पर दखल कब्जा नहीं रहा।

आवेदक के अनुसार अंचल अधिकारी, जमुई ने अपने पत्रांक–608 दिनांक–07.06.2016 से इस बात की पुष्टि की है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जे में शूरू से है तथा आवेदक ने चौहद्दी के अनुसार भूमि पर चाहरदीवारी का निर्माण करा रखा है।

आवेदक का कथन है कि बिना दखल कब्जा के कंचल देवी द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से बिक्री किए गये केवाला रकवा 12 डी0 के आलोक में इन्दु देवी ने कपटपूर्वक हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर अपने पक्ष में दाखिल खारिज वाद सं0–6373/12–13 के द्वारा जमाबन्दी सं0–3018 कायम करवा लिया। आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उनका दखल कब्जा है। उनके पास जमाबन्दी रैयत बंगाली रावत के पत्नी शारदा देवी के द्वारा बिक्री की गई 4 $\frac{3}{4}$ डी0 का केवाला है तथापि उनका दाखिल–खारिज अंचल के द्वारा नहीं की गई। नियम विरूद्व In-operative केवाला के आधार पर इन्दु देवी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का कायम जमाबन्दी रद्द होने योग्य है।

विपक्षी प्रथम पक्ष इन्दु देवी उपस्थित हुये मगर उनके द्वारा अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया। दो अनुस्मारों के बावजूद विपक्षी–2 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। पर्याप्त उचित अवसर देने के वाद भी जब विपक्षीगण अपना पक्ष नहीं रखे तो

वाद को एक पक्षीय सुना गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना उनके द्वारा तथा अंचल अधिकारी, जमुई के द्वारा दाखिल कागजातों विशेषकर दखल–कब्जा के बिन्दु पर पत्रांक–608 दिनांक–07.06.2016 तथा पत्रांक–641 दिनांक–07.05.2018 से प्राप्त दाखिल खारिज वाद सं0–5208/07–08 के अभिलेख की छाया–प्रति का अवलोकन किया। कंचल देवी के नाम कायम जमाबन्दी सं0–2194 से संबंधित पंजी–2 की छाया–प्रति का अवलोकन किया। दाखिल खारिज वाद 5208/2007–08 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व शिविर अंचल परिसर, जमुई में दिनांक–17.03.2008 को आहूत हुई। इस हल्का के 43 आवेदन का निष्पादन कैम्प में किया गया। अंचल निरीक्षक द्वारा दिनांक–17.03.2008 को क्रमांक–8, 9, 10, 11, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 एवं 36 का छोड़ कर शेष क्रम के जमाबन्दी स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। कंचल देवी का आवेदन क्रमांक–05 पर दर्ज है। दाखिल खारिज कंचन देवी जौ0–स्व0 कारू रावत, बचन एवं शंकर रावत पे0–बंगाली रावत के नाम वशंवृक्ष के आधार पर कायम करने का आदेश अंचल अधिकारी द्वारा की गई।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वंशवृक्ष में बंगाली रावत की पत्नी शारदा देवी जो कि आवेदक के केवाला में विक्रेता है, का नाम छोड़ दिया गया है, अर्थात् दाखिल खारिज के लिये कपटपूर्वक तैयार गलत वंशवृक्ष के आधार पर जमाबन्दी बटवारा का वाद लाया गया।

द्वितीय कंचन देवी जौ0–कारू रावत, वेचन वो शंकर रावत के नाम जमाबन्दी सृजन करने का आदेश वाद सं0–5208/07–08 से हुआ मगर राजस्व कर्मचारी द्वारा इस आदेश के आलोक में कंचन देवी के अकेले नाम से जमाबन्दी सं0–2194 कायम किया गया। जो कपटपूर्ण कार्य है,

तृतीय अंचल निरीक्षक के द्वारा दिनांक–17.03.2008 को अभिलेख स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु आमंत्रित है। मगर राजस्व कर्मचारी के द्वारा दिनांक–15.03.2008 को जमाबन्दी सं0–2194 कायम कर प्रथम लगान रसीद 853308 निर्गत कर दी जाती है।

चतुर्थ Bihar Tenant's holding(maintence of records)act 1973 की धारा 14(2) के प्रावधानों के अनुकुल खास सूचना निर्गत नहीं है। आपत्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम 14 दिन का समय नहीं उपलब्ध कराया गया है।

पंचम अंचल द्वारा दाखिल खारिज के मूल तत्व " दखल कब्जा" के बिन्दु पर जॉच नहीं किया गया। अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक–608 दिनांक–07.06.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल है तथा आवेदक द्वारा क्रय किये गये भूमि का चाहरदीवारी भी कराया गया है।

उक्त तथ्यों दाखिल कागजातों से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सं0–2194 के समय खास सूचना/दखल कब्जा जैसे स्थापित नियमों के विरूद्ध तथा जमाबन्दी सं0–3018 के सृजन के समय 'दखल कब्जा' के बिन्दु पर स्थल जॉच नहीं की गई है।

अतएव आवेदक के द्वारा दाखिल जमाबन्दी रद्दीकरण आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, जमुई को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी सं0–3018 से 4 $\frac{1}{4}$ डी0 रकवा जमाबन्दी सं0–2194 एवं तद्नुसार मूल जमाबन्दी रैयत बंगाली रावत के जमाबन्दी सं0–688 में 4 $\frac{3}{4}$ डी0 रकवा एवं 687 से शून्य रकवा वापस करें।

आवेदक चाहे तो अपने केवाला के आधार पर दाखिल खारिज करने के लिये अंचल में आवेदन दाखिल कर सकते है।

A Home Jud

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, जमुई को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

22/5/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

22/5/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 531 /रा0, दिनांक– 26.05.2018

प्रतिलिपि–विपक्षीगण/अंचल अधिकारी, जमुई/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/5/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

A Home Jud